न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिडवाई)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/295/15 निर्णय दिनांक : 25.06.2018

उनवान

1. सेवा पुत्र स्व0 श्री गुरजी
2. श्यामलाल पुत्र हरिराम पौत्र स्व0 श्री घम्मन
3. सुरेश पुत्र हरिराम पौत्र स्व0 श्री घम्मन जातियान जाटव निवासियान ग्राम बरवाडा बास तहसील रामगढ जिला अलवर।

...............................वादीगण

बनाम

1. छम्मी सिह पुत्र मेहरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बरवाडा ढाणी तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................असल प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.34, 402 रकबा 0.43 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि असल प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। असल प्रतिवादी उक्त आराजी से गैर काबिज शख्स है। परन्तु प्रतिवादी लडाकू किस्म के है। जो लठ के बल से जबरन विवादित आरजाी को हडप करना चाहते है। उक्त आराजी में जबरन निर्माण करना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.34, 402 रकबा 0.43 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0. 77 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना

करे, किसी प्रकार की नींव आदि खोदकर पक्का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चिडवाई में दिनांक 25.06.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी को सुना गया।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चिडवाई में दिनांक 25.06..2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी के गैरखातेदार है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.34, 402 रकबा 0.43 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर के वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चिडवाई में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चिडवाई)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/295/15 निर्णय दिनांक : 25.06.2018

उनवान

1. सेवा पुत्र स्व0 श्री गुरजी
2. श्यामलाल पुत्र हरिराम पौत्र स्व0 श्री घम्मन
3. सुरेश पुत्र हरिराम पौत्र स्व0 श्री घम्मन जातियान जाटव निवासियान ग्राम बरवाडा बास तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. छम्मी सिह पुत्र मेहरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बरवाडा ढाणी तहसील रामगढ जिला अलवर।

...........................असल प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 260 रकबा 0.34, 402 रकबा 0.43 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.77 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर के वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)